प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.01.2026

गाजियाबाद पुलिस द्वारा "ट्रैफिक मित्र (Traffic Volunteer)" योजना का शुभारम्भ

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के निर्देशन में आज दिनांक **01 जनवरी 2026** नव वर्ष के अवसर पर **अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात)** गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुचारु एवं जन-सहभागिता आधारित बनाए जाने के उद्देश्य से **"ट्रैफिक मित्र (Traffic Volunteer)"** योजना का औपचारिक **शुभारम्भ पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत हॉल** में किया गया। यह योजना नव वर्ष में जनसेवा, यातायात अनुशासन एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर **चयनित 18 ट्रैफिक मित्रों को परिचय** पत्र प्रदान किए गए। अभी तक कुल **280 ट्रैफिक मित्रों** का चयन किया जा चुका है, शेष चयनित ट्रैफिक मित्रों को भी शीघ्र ही परिचय पत्र वितरित किए जाएंगे। यातायात पुलिस का **लक्ष्य** गाजियाबाद में **500 ट्रैफिक मित्रों** का चयन करना है।

नव वर्ष के अवसर पर प्रारम्भ की गई यह योजना नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने, सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने एवं यातायात संचालन में **जनसहभागिता** की दिशा में एक नई शुरुआत है।

ट्रैफिक मित्र योजना का उद्देश्य

- जनपद की यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुरक्षित बनाना।
- यातायात नियमों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना।
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना।
- भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, स्कूलों, बाजारों एवं चौराहों पर यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान करना।
- पुलिस एवं जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।

ट्रैफिक मित्रों की भूमिका

- यातायात नियमों के पालन हेतु नागरिकों को प्रेरित करना।
- जाम की स्थिति में यातायात पुलिस को सूचनात्मक एवं व्यवहारिक सहयोग देना।
- स्कूल, कॉलेज, कार्यालय समय में यातायात प्रबंधन में सहायता।
- सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक जागरूकता
- अभियानों में सक्रिय भागीदारी।
- आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस को तत्काल सूचना देना।

ट्रैफिक मित्र योजना के लाभ

- समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी का अवसर।
- यातायात पुलिस के साथ कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव।

- भविष्य में सामाजिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों में पहचान एवं सम्मान।
- सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता।

ट्रैफिक मित्र योजना जन-सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ आम नागरिकों को जिम्मेदार यात्री बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यातायात पुलिस सभी नागरिकों से अधिक से अधिक इस अभियान में जुड़कर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुदृढ़ बनाये जाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की अपील करती है।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात), पुलिस उपायुक्त (यातायात), समस्त सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) एवं सभी यातायात निरीक्षक गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक मित्रों को उनके दायित्वों एवं जिम्मेदारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए।

यातायात पुलिस गाजियाबाद जनहित, जनसुरक्षा एवं यातायात अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध है।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा पर्स स्नैचिंग करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पर्स स्नैचिंग के पैसे से खरीदा हुआ 01 मोबाइल फोन मय बिल व पर्स स्नैचिंग से सम्बन्धित 1800/- रुपये तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 29.12.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादिया की ऑनलाइन ई-एफआईआर पर्स स्नैचिंग के सम्बन्ध में प्राप्त हुई । जिसका संज्ञान लेते हुए दिनांक 31.12.2025/01.01.2026 की रात्रि में थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पर्स स्नैचिंग करने वाला 01 अभियुक्त अक्षय राघव पुत्र सुरेश कुमार निवासी 563सी न्यायखण्ड थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को गौर ग्रीन चौराहा के पास से पर्स स्नैचिंग के पैसे से खरीदा हुआ 01 मोबाइल फोन मय बिल व पर्स स्नैचिंग से सम्बन्धित 1800/- रुपये तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय राघव पुत्र सुरेश कुमार राघव उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय राघव पुत्र सुरेश कुमार राघव उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि 22 दिसम्बर को मैने एटीएस सोसाइटी इन्दिरापुरम के गेट के पास से एक पैदल जाती हुई महिला से एक पर्स छीना था छीने हुए पर्स से मैने रुपये निकालकर पर्स को रास्ते में फेंक दिया था तथा उसी दिन मैंने उन रुपयों से यह मोबाइल खरीदा था जिसका बिल भी अभी मेरे पास था तथा कुछ रुपये मैने गांजा पीने व उधारी चुकाने में खर्च कर दिए । शेष मेरे पास 1800/- रुपये ही बचे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अक्षय राघव पुत्र सुरेश कुमार राघव निवासी 563 सी न्यायखण्ड 1 थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

पर्स स्नैचिंग के पैसे से खरीदा हुआ 01 मोबाइल फोन मय बिल व पर्स स्नैचिंग से सम्बन्धित 1800/- रुपये तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय राघव उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद में गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास का 01-01 अभियोग, लूट/स्नेंचिग, एनडीपीएस एक्ट, चोरी, आर्म्स एक्ट, चोरी का माल बरामदगी से सम्बन्धित 02- 02 अभियोग व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में हत्या का प्रयास का व चोरी का 01-01 अभियोग कुल 14 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 06 किलोग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त कार व मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 01.01.2026 की रात्रि में थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अन्तर्राज्यीय गिरोह के अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तगण 1-शीलू सिंह पुत्र बदले सिंह हालपता खजूर गली तिगडी गोल चक्कर थाना बिसरख नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर मूलपता ग्राम बीरपुनादी थाना नबाबगंज जिला फर्रुखाबाद, 2- रामकुमार गुप्ता पुत्र रुपचन्द्र गुप्ता हालपता दुर्गा मन्दिर के पास गली न0 7 शंकर विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमि0 गाजियाबाद मूलपता ग्राम सिरोली थाना नवावगंज जिला फर्रुखाबाद व 3-संजय शुक्ला पुत्र रामचन्द्र शुक्ला हालपता गली न0 7 ममूरा सैक्टर 66 थाना फेस 3 नोएडा मूलपता ग्राम साहिबाबाद थाना इनायत नगर जिला अयोध्या को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से करीब 06 किलोग्राम अवैध गांजा एवं घटना में प्रयुक्त एक कार तथा एक मोटरसाइकिल बरामद। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ के दौरान अभियुक्त रामकुमार गुप्ता उपरोक्त ने बताया कि वह कस्बा खोडा में नशीले गांजे की पुडिया बनाकर अवैध रुप से धन अर्जित करने के उद्देश्य से गांजा बेचते हैं। वह यह गाजा अभियुक्त शीलू सिहं पुत्र बदले सिहं हालपता खजूर गली तिगडी गोल चक्कर थाना बिसरख नोएडा कमि0 गौतमबुद्धनगर मूलपता ग्राम बीरपुनादी थाना नबाबगंज जिला फर्रुखाबाद से खरीदते हैं। अभियुक्त शीलू सिंह उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी संजय शुक्ला पुत्र रामचन्द्र शुक्ला हालपता गली न0 7 ममूरा सैक्टर 66 थाना फेस 3 नोएडा मूलपता ग्राम साहिबाबाद थाना इनायत नगर जिला अयोध्या उ0प्र0 राशिद पुत्र शेखर निवासी ग्राम बाबा लक्ष्मणदासपुरी नीम करोली थाना मौहम्दाबाद जिला फरुर्खाबाद हाल पता रहमानिया मस्जिद के पास नेहरु गार्डन

खोड़ा गाजियाबाद उपरोक्त से जो कि बिहार राज्य से दीपराज जो बिहार राज्य में गांजा तस्करी का काम करता है से गांजा मंगवाकर कस्बा खोडा में रामकुमार गुप्ता को सप्लाई करते हैं। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शीलू एवं राम कुमार गुप्ता वर्ष 2017 में थाना जीआरपी गुडीबाडा जनपद विजयवाडा आंन्ध्रप्रदेश में गाजा तस्करी में गिरफ्तार हुये थे तभी से यह लोग गांजा तस्करी में लिप्त है। अभियुक्त रामकुमार गुप्ता एवं शीलू सिंह उपरोक्त पूर्व में दिल्ली, नोएडा एवं गाजियाबाद से भी गांजा तस्करी में जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. शीलू सिंह पुत्र बदले सिंह हालपता खजूर गली तिगडी गोल चक्कर थाना बिसरख नोएडा कमि0 गौतमबुद्व नगर मूलपता ग्राम बीरपुनादी थाना नबाबगंज जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
2. रामकुमार गुप्ता पुत्र रुपचन्द्र गुप्ता हालपता दुर्गा मन्दिर के पास गली न0 7 शंकर विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमि0 गाजियाबाद मूलपता ग्राम सिरोली थाना नवावगंज जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।
3. संजय शुक्ला पुत्र रामचन्द्र शुक्ला हालपता गली न0 7 ममूरा सैक्टर 66 थाना फेस 3 नोएडा मूलपता ग्राम साहिबाबाद थाना इनायत नगर जिला अयोध्या उ0प्र0 उम्र करीब 37 वर्ष।

फरार अभियुक्त का विवरणः-

दीपराज कुमार निवासी बिहार

बरामदगी का विवरणः-

06 किलोग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त कार व मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त रामकुमार गुप्ता के विरुद्ध गाजियाबाद, दिल्ली एवं आन्ध्रप्रदेश राज्य में गांजा तस्करी के 03 अभियोग तथा अभियुक्त शीलू सिंह के विरुद्ध बैंगलोर, नोएडा एवं गाजियाबाद में गांजा तस्करी के 04 तथा जनपद फतेहगढ में मारपीट व जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार तथा निशांदेही से मृतक के 02 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 31.12.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी श्री प्रदीप पुत्र राम सिंह द्वारा तहरीर दी गई कि उसके भाई अमरपाल का शव चमन विहार में झुग्गी के पास प्लॉट में पड़ा मिला है जिसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस व विवेचनात्मक कार्यवाही में उपरोक्त अभियोग में मृतक की हत्या करने में अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र हरीशचन्द निवासी अब्दुल्ला मस्जिद के पास, चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया।

तत्पश्चात दिनांक 31.01.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र हरीशचन्द निवासी अब्दुल्ला मस्जिद के पास चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को सभापुर अण्डरपास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदेही पर मृतक अमरपाल के 02 मोबाइल फोन (1.आई-फोन एप्पल कम्पनी 2.नथिंग कम्पनी) बरामद किये गये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मृतक अमरपाल का घर मेरे पडोस में ही है। वह मेरा दोस्त था तथा चन्दन पुत्र गणेश महतो जो कि हमारा पडोसी है वह भी हम दोनो का दोस्त है। करीब एक सप्ताह पूर्व मेरी बहन ने चन्दन को मेरी बीमार पत्नी को इलाज कराने के लिए अपने साथ पुस्ता तिराहे लोनी तक मोटरसाइकिल से छोडने के लिए कहा था तो चन्दन ने छोडने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर चन्दन से उसी शाम को मेरा झगडा हो गया था। उसी समय अमरपाल भी मौके पर आ गया था और अमरपाल ने चन्दन की हिमायत लेते हुए मुझे गालियां देते हुए मेरे साथ झगडा किया था जो बात मेरे दिल पर लग गयी थी। मैंने उसी समय अमरपाल को मारकर उससे बदला लेने की ठान ली थी। दिनांक 29.12.2025 की शाम करीब 8.30 बजे मैंने अमरपाल को तीन बार फोन करके चमन विहार की खाली पडी कच्ची कॉलोनी में बुला लिया था। मैंने पहले से ही 04 ब्रीजर (पेय पदार्थ) लेकर अपने पास रखी थी। अमरपाल ने पहले से भी कुछ नशा किया हुआ था। फिर हम दोनो ने मिलकर ब्रीजर (पेय पदार्थ) पी थी। फिर मैंने पहले के हुए झगडे एवं बेइज्जती की बात कहने पर अमरपाल पुनः गाली गलौच करने लगा था जो मुझे सहन नही हुई थी। तब मेरी अमरपाल से हाथापाई हो गयी थी और मैंने अमरपाल को नीचे गिरा दिया था और पास पडे हुए बिजली के तार को अमरपाल के गले में लपेटकर खींचकर उसी के गले में छोड दिया था, जिसे मैं मरा समझकर उसके दोनो मोबाइल फोन लेकर उसे वहीं पर छोडकर वहा से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरुण कुमार पुत्र हरीशचन्द निवासी अब्दुल्ला मस्जिद के पास चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अरुण उपरोक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

निशांदेही से मृतक के 02 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त लोहे की पाइप व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 26.12.2025 को थाना लोनी पर वादी श्री नितेश कुमार S/O योगेश कुमार द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के पिता योगेश कुमार उम्र 58 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर भाग जाना व उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा-103(1) बीएनएस. के अन्तर्गत

अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र रणवीर सिंह निवासी पुराना चेक पोस्ट वाला 30 फुटा, अशोक विहार, लोनी, गाजियाबाद व नवीन कुमार पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी देउआका थाना चन्डौस जनपद अलीगढ के नाम प्रकाश में आये।

तत्पश्चात दिनांक 31.12.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र रणवीर सिंह निवासी पुराना चेक पोस्ट वाला 30 फुटा, अशोक विहार, लोनी, गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को थाना लोनी के हल्का चौकी अशोक विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त नवीन उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अरविन्द ने बताया कि मैं कक्षा 12 तक पढा हूँ, वर्ष 2008 में ग्राम बरारी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर में जब मैं नाबालिग था तब मैंने अपने पिता के साथ मिलकर अपने चाचा तथा परिवार के 08 लोगों की हत्या कर दी थी जिसमें मेरे पिताजी को फाँसी की सजा हुई थी जिनकी सजा आजीवन कारावास में तब्दील हुई थी। मैं और मेरी पत्नी व बच्चे अशोक विहार लोनी रहने लगे। मेरा पडोसी योगेश कुछ दिन पहले एयर फोर्स से रिटायर्ड हुआ था जिसके कारनामो की वजह से योगेश का पूरा घर परेशान था। योगेश अपने घर को बेचना चाहता था और योगेश अपने दोनों बेटो से घर खाली कराने को बोल रहा था। योगेश की घरवाली मेरे सामने अपनी परेशानी बताती हुई रोती थी और योगेश मुझसे भी चिढाता था क्योकि मैं शराब पी लेता था। मैं आवारा कुत्तों को दूध पिलाता था और रोटी भी डालता तभी योगेश उन कुत्तो को मारता था। मुझे योगेश के ये कारनामे बहुत बुरे लगते थे जिस कारण मैंने उसके दोनों बेटे नितेश व गुड्डू के साथ मिलकर 05 लाख रुपये में योगेश के छोटे बेटे गुड्डू के साथ योगेश की घर की छत पर व बडे बेटे नितेश के साथ नाई की दुकान पर योगेश के मर्डर की योजना बनायी थी। मेरा जीजा नवीन जो उ0प्र0 पुलिस में तैनात है वो भी अवकाश पर था। दोनों ने योगेश को एक- एक गोली दिल्ली साहरनपुर हाईवे के पास योगेश के सिर में मारकर मार डाला तथा योगेश के सिर में लोहे के पाईप से चोट मार दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरविन्द कुमार पुत्र रणवीर सिंह निवासी पुराना चेक पोस्ट वाला 30 फुटा अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

नितेश व गुड्डू पुत्रगण मृतक योगेश निवासीगण अशोक विहार लोनी गाजियाबाद।

नवीन कुमार पुत्र गजेन्दर सिंह निवासी देउआका थाना चण्डोस जिला अलीगढ।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक लोहे का पाइप व एक मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में अभियुक्त के विरूद्ध थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर में हत्या /आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के सम्बन्ध में 03 अभियोग व थाना कोतवाली बुलन्दशहर में धोखाधडी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 4175/- रूपये नगद बरामद ।

दिनांक 18.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से विभिन्न सामान चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का अनावरण करने हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग में दिनांक 20.12.2025 को अभियुक्त सुमित पुत्र चुन्दन सिंह निवासी बीएमएस स्कूल वाली गली पुष्पांजली विहार लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/331(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी थी।

तत्पश्चात् आज दिनांक 01.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले वाछिंत अभियुक्त दलजीत सिंह उर्फ चीनू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बीएमएस स्कूल वाली गली पुष्पांजली विहार, लोनी, गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 4175/- रुपये नगद बरामद हुए। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 16/12/2025 की रात को मैंने और मेरे दोस्त शिवा पुत्र हेमसिंह व सुमित पुत्र चन्दन ने मौका पाकर वादिया के घर से जेवरात व नगद रूपयों की चोरी कर ली थी। चोरी किये गये कुछ रुपये तथा कुछ सामान सुमित और चीनू के पास हैं तथा मुझे नगद 5000/- रुपये व सामान मिला था जिनमें से कुछ रुपये मैनें खर्च कर दिये तथा यही 4175/- रुपये बचे हैं। आज मैं नया साल मनाने के लिये जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दलजीत सिंह उर्फ चीनू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बीएमएस स्कूल वाली गली पुष्पांजली विहार, लोनी, गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

वाछिंत अभियुक्त का विवरण-

शिवा पुत्र हेमसिंह

बरामदगी का विवरण-

4175 रूपये नगद बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1.530 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 01.01.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त जफरू उर्फ मौ0जफर पुत्र फजरू निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजयिबाद उम्र करीब 41 वर्ष को ग्राम पट्टी से ग्राम जहाँगीरपुर वाला रास्ता गोगा मन्दिर के पास थाना क्षेत्र भोजपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 1.530 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना भोजपुर पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे वाहर से गांजा लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर बेच देता हूँ तथा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

जफरू उर्फ मौ0 जफर पुत्र फजरू निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजयिबाद उम्र करीब 41 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कुल1.530 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करनेवाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 20,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 02.08.2025 को साइबर सेल कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम को आवेदक कादिर नि0- ग्राम त्योड़ी, थानाक्षेत्र भोजपुर गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन कुल 20,000/- रूपये की धनराशि का साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद को दिनांक 02.08.2025 को कादिर नि0- ग्राम त्योड़ी, थाना भोजपुर गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन कुल 20,000/- रूपये की धनराशि का साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई। प्रार्थी को एक लिंक भेजी गयी, लिंक पर क्लिक करने के बाद प्रार्थी के खाते से दो बार में कुल 20,000 /- निकल गये थे। जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP PORTAL पर शिकायत दर्ज की। जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 01.01.2026 को आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन साइबर फ्रॉड में ठगी की धनराशि 20,000/- रूपये को अथक प्रयासों के बाद आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

साइबर सेल थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 20,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 10.12.2025 को साइबर सेल कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम को आवेदिका नूर जहान थानाक्षेत्र भोजपुर गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन कुल 20,000/- रूपये की धनराशि का साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद को दिनांक 10.12.2025 को नूर जहान नि0- ग्राम नाहली, थाना भोजपुर गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन कुल 20,000/- रूपये की धनराशि का साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध

में शिकायत प्राप्त हुई। प्रार्थिनी के खाते से बिना किसी जानकारी के कुल 20,000 /- निकाले गये थे, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता को मैसेज के द्वारा प्राप्त हुयी थी। जिसके सम्बन्ध में आवेदिका ने NCRP PORTAL पर शिकायत दर्ज की। जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 01.01.2026 को आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन साइबर फ्रॉड में ठगी की धनराशि 20,000/- रूपये को अथक प्रयासों के बाद आवेदक को वापस कराया गया। प्रार्थिनी के पति ने थाना पर आकर पुलिस का आभार प्रकट किया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद।